



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

14 आश्विन 1945 (श10)
(सं0 पटना 816) पटना, शुक्रवार, 6 अक्टूबर 2023

सांस्थिक वित्त निदेशालय
वित्त विभाग

अधिसूचना
5 अक्टूबर 2023

सं0 08/NBFC-12/2019 (खंड) 1308/वि0—केन्द्र सरकार के अविनियमित निक्षेप पाबंदी अधिनियम, 2019 (2019 का 21) की धारा 7 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, तत्काल प्रभाव से, सक्षम प्राधिकारी को अपने कर्तव्यों के निर्वहन हेतु सहायता करने के लिए प्रत्येक जिला में जिलाधिकारी को उनके अपने क्षेत्राधिकार के भीतर इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये नियुक्त करती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
अरविन्द कुमार चौधरी,
प्रधान सचिव।

The 5th October 2023

No 08/NBFC-12/2019 (खंड) 1308/वि0--In exercise of the powers conferred under sub-section (2) of section 7 of The Banning of Unregulated Deposit Schemes Act, 2019 (No. 21 of 2019) of Central Government of India, the State Government, hereby, appoints

District Magistrates within their respective jurisdiction to assist the Competent Authority in discharging its functions for the purposes of the said Act.

By the order of the Governor of Bihar,

Arvind Kumar Chaudhary,

Principal Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित ।

बिहार गजट (असाधारण) 816-571+10-डी0टी0पी0 ।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>